

>

Title: Need to undertake electrification of hamlets in Western Rajasthan under Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana.

**श्री सी.आर. चौधरी (नागौर):** राजस्थान के पश्चिमी भाग में लागू ढाणियों में निवास करते हैं। इनकी आबादी 50 से लेकर 500 तक होती है। आबादी कम होने के कारण इनको राजस्व ग्राम की श्रेणी में नहीं लिया गया है। मूल गाँव से खेत ज्यादा दूर होने के कारण कार्य की सुविधा एवं गाँवों में आबादी विस्तार की संभावना नहीं होने से लोग गाँव से दूर ढाणी बसाकर रहने लग जाते हैं। ये ढाणियाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही हैं। यहाँ पर पीने के पानी एवं विशेष रूप से बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान सरकार घरेलू क्षेत्रों में 24 घण्टे एवं सिंचाई के लिए न्यूनतम 8 घण्टे बिजली दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली चौबीस घण्टे मिल रही है, परंतु ढाणियाँ उक्त सुविधा से वंचित हैं। मैं नागौर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग छोटी-छोटी ढाणियों में रह रहे हैं।

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत राजस्व ग्रामों एवं 2004 के पूर्व की ढाणियों जिनकी जनसंख्या अधिक थी, उनमें विद्युतीकरण किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसी योजना में 100 से ज्यादा जनसंख्या वाली ढाणियों में भी विद्युतीकरण करने की योजना है, परंतु अभी तक हुआ नहीं है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 100 से ज्यादा आबादी की ढाणियों के स्थान पर 50 से ज्यादा आबादी वाली ढाणियों को विद्युतीकरण के लिए चुना जाए तथा ढाणियों की आबादी का आंकलन वर्ष 2001 की जनसंख्या के बजाय 2011 की जनसंख्या को आधार मानकर उपरोक्त लाभ दिया जाए।